भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1635

(दिनांक 13.12.2023 को उत्तर के लिए)

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण

1635. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत :

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य बिना कोई कारण बताए अपने राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उनकी कार्यअवधि पूरी होने से पहले ही केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उनके स्थानांतरण के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने राज्य सरकार की शक्तियों को कम कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारत सरकार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की राज्यों में विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम द्वारा प्रशासित होती है। भारत सरकार में विभिन्न पदों पर उन्हीं अधिकारियों (आईएएस और भाग लेने वाली अन्य सेवाओं से संबंधित) के आवेदनों पर विचार किया जाता है, जो केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत आवेदन करते हैं तथा जिनके आवेदनों को राज्यों/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से भेजा जाता है। भिन्न-भिन्न राज्य संवर्गों के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटा का उपयोग उस स्केल को प्रशासित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जिस पर अधिकारियों को विभिन्न राज्य संवर्गों से लिया जाता है। आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आईएएस (संवर्ग) नियमावली, 1954 के साथ-साथ समेकित दिशा-निर्देशों और उसके अधीन जारी किए गए अनुदेशों द्वारा प्रशासित होती है।